16सन 2017 रामकुमार/ह८८ दाना

प्रकरण सं० 16 सन 2017

मिसल की गई, Report TDR पूर्व पेशी
प्राप्त हो चुकी है वादी अधि गत पत्रावली
वास्ते आदेश दिनांक 19/2/18 को
पेश हो

19/2/18 वकील वादी एवं पैरोकार राज
उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय
दिनांक 23/2/18 को पेश हो

23/2/18 वकील वादी एवं पैरोकार राज
उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। संक्षेप रूप में तथ्य
इस प्रकार है कि वादी ने दिनांक
19/1/17 को विरुद्ध प्रतिवादी वाद
अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act इस
आशय का पेश किया कि वादी
के नाम चक न० 3 S.N.M. के खाता
संख्या 83/73 के प० न० 115/272(14)
कि० न० 20, 21 प० न० 115/273(19) कि० न०
1, 2, 3, 8, 9, 10 कुल 2.024 है० नहरी
मय गैर मुमकिन कृषि भूमि दर्ज
राजस्व अभिलेख है। प० न० 115/273
(19) कि० न० 1, 2, 3 में 0.025 है०
गैर मुमकिन खाला दर्ज है जबकि
वास्तव में उक्त किलों में खाला
कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा है।

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

प्रकरण सं० 16 सन् 2017 रामकुमार / स्टेट

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व ना ही वर्तमान में खाला है अत: गै० मु० खाला के अंकन को हटाकर उसका वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार से वाद पत्र की प्रति भिजवाई जाकर जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, हनुमानगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 399 दिनांक 24/3/17 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की है कि प्रश्नगत भूमि वादी के खाते में गै० मु० खाला खातेदारी दर्ज है। मौका पर उक्त खाला उपयोग में नहीं होने के कारण अस्तित्व में नहीं है तथा ना ही किसी प्रकार का कच्चा या पक्का खाला मौका पर बना हुआ नहीं है। प्रकरण में अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गई जो पत्र क्रमांक 1806 दिनांक 20/7/17 द्वारा प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में अंकित किया है कि कार्यालय रिकार्ड अनुसार चक न० 35 NM के मु० न० 115/273 किला 1 ता 5 में कोई जल मार्ग स्वीकृत नहीं है। विद्वान अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने अर्जी दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वाद वादी पूर्णतया साबित है डिक्री फरमाया जावे। अपने तर्क की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार, अधिशाषी अभियन्ता, सिन्चाई विभाग की ओर ध्यान आकर्षित किया। विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन करने (आद्याक्षर)	

रिपोर्ट तहसीलदार, अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग से प्रश्नगत भूमि पर खाला स्वीकृत नहीं है तथा ना ही मौके पर निर्मित है। वाद वादी साबित है। अतः वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक नं० 35NM के खाता संख्या 43/73 के प० नं० 115/273(19) कि न 1,2,3 में प्रत्येक में .025 है० गै० मु० खाला .075 है० भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। राजस्व रेकार्ड में गै० मु० खाला की प्रविष्टि को हटाया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय बार उभय पक्ष वादी, प्रतिवादी स्वयं

Scanned by CamScanner